न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद पत्र सं0—— 15 / 2019

प्रविष्टि दिनांक —— 21.02.2019

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोती जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
2. रवि पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
3. रोहित पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
4. पिंकी पुत्री हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
5. अनोख पत्नि हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
2. शिवराज पुत्र भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
3. हंसा पुत्री भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
4. रामकल्याणी पत्नि भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
5. राजकंवर पुत्र मोती जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
6. तहसीलदार टोंक।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री योगेश व्यास— वकील वादीगण

वादपत्र बाबत— उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :— 19/01/2021

वादी ने वादपत्र बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती ईन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा जरिये अभिभाषक पेश किया जिसका संक्षेप्त में विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 542, 846, 1039 कुल किता—3 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 106, 222, 369, 528, 547, 567, 581, 593, 596, 601, 641, 643, 693, 881, 1000, 1005, 1009, 1017, 1019, 1045, 1046, 1065, 1106, कुल किता—23 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण प्रतिवादीगण के पूर्वज मोती पुत्र धन्ना व चमना पुत्र रोजू की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी। जिनका अंकन जमाबन्दी संवत 2029 से 47 में हो रखा है। उक्त धन्नाा व रोजू दोनों सगे भाई थे इनमें से रोडू का पुत्र चमना था, चमना लाऔलाद फौत हुआ है अर्थात उसके वारिस नहीं था इस कारण चमना पुत्र रोजू के 1/2 हिस्से व खातेदारी की आराजीयात के भी मालिक स्वीमी मोती पुत्र धन्ना के चारों पुत्र भीमराज, हरिनारायण, लक्ष्मीनारायण राजकंवर उर्फ राजकुमार बहिस्सा बराबर बराबर के रूम में हुए। उपरोक्त आराजीयात में मोती व चमना के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर मौके पर मोती के चारों पुत्र भीमराज, हरिनारायण, लक्ष्मीनारायण, राजकंवर उर्फ राजकुमार बहिस्सा बराबर यानि 1/4,—1/4 हिस्से पर काबिज रहे है। वर्तमान में भी इसी अनुरूप वादी सं. 1, वादी संख्या—2 ता 5, प्रतिवादी संख्या—1 ता 4 एंव प्रतिवादी संख्या—5 अपने अपने 1/4 पर काविज होकर वर्षो से काश्त करते आ रहे है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त आराजीयात का अंकन उपरोक्तानुसार नहीं हो रखा है बल्कि वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा कम ज्यादा हो रखा है। जिससे यह वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थना है कि डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या—1 लगायात 5 बाबत स्वीकारारहक उद्घोषणा पारित फरमायी जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 542,

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

846, 1039 कुल किता–3 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 106, 222, 369, 528, 547, 567, 581, 593, 596, 601, 641, 643, 693, 881, 1000, 1005, 1009, 1017, 1019, 1045, 1046, 1065, 1106, कुल किता–23 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादीगण संख्या–2 ता 5 को 1/4 हिस्से का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमल दरामद कराया जाये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाये कि वे स्वंय जरिये ऐजेन्ट नोकर रिश्तेदार या अन्य दीगर व्यक्ति के उक्त वर्णित आराजीयात को अथवा उसके किसी भू भाग को खर्दु बुर्द रहन दान बेचान अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें न करावें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें, जबरन वादीगण को बेदखल नहीं करें।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजात जमाबन्दी संवत 2072–2075, खाता संख्या–129, 130, मिसल बन्दोबस्त खाता संख्या 74, 75 प्रस्तुत किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 ने वादी के हक में इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में तनकियात कायमी की आवश्यकता नहीं है। वादीगण ने अपने पक्ष में गवाह पीडब्ल्यू–1, 2 व 3 के शपथ पत्र पेश किये।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी तथा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन करने करने पर पक्षकारान की सहमति से एंव साक्ष्य दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी आराजी खसरा नम्बर 542, 846, 1039 कुल किता–3 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 106, 222, 369, 528, 547, 567, 581, 593, 596, 601, 641, 643, 693, 881, 1000, 1005, 1009, 1017, 1019, 1045, 1046, 1065, 1106, कुल किता–23 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादीगण संख्या–2 ता 5 को 1/4 हिस्से का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में ईन्द्राज करने की स्वीकृति दिया जाना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 542, 846, 1039 कुल किता–3 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 106, 222, 369, 528, 547, 567, 581, 593, 596, 601, 641, 643, 693, 881, 1000, 1005, 1009, 1017, 1019, 1045, 1046, 1065, 1106, कुल किता–23 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादीगण संख्या–2 ता 5 को 1/4 हिस्से का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार टोंक आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें।

निर्णय आज दिनांक ...13/01/2021... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

मुकाम **टोंक** व अलजाम **श्री नित्या के0, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित**

प्रविष्टि दिनांक — 21.02.2019

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोती जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
2. रवि पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
3. रोहित पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
4. पिंकी पुत्री हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
5. अनोख पत्नि हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
2. शिवराज पुत्र भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
3. हंसा पुत्री भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
4. रामकल्याणी पत्नि भीमराज जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
5. राजकंवर पुत्र मोती जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक
6. तहसीलदार टोंक।

— **प्रतिवादीगण**

उपस्थित— श्री योगेश व्यास— वकील वादीगण

वादपत्र बाबत— उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा

वाद पत्र सं0—— 15/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **उपखण्ड अधिकारी, टोंक** व हाजरी **वकील वादी** मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

**वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को उक्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 542,
846, 1039 कुल किता—3 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 106, 222, 369,
528, 547, 567, 581, 593, 596, 601, 641, 643, 693, 881, 1000, 1005, 1009, 1017,
1019, 1045, 1046, 1065, 1106, कुल किता—23 कुल रकबा 36 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम
शुक्लपुरा तहसील व जिला टोंक में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादीगण संख्या—2
ता 5 को 1/4 हिस्से का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा
तहसीलदार टोंक आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करें।**

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख ...19/01/2021 को जारी किया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मोहर (उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.))

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्तनामा वकील		
महन्तनामा वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीज़ान			मिजान		

*—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।